न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 123/2007

उनवान

1. सुन्दर पत्नी नारायण
2. गोपाल पुत्र नारायण
3. केसर पत्नी तारचन्द
4. भागचन्द पुत्र ताराचन्द
5. कंचन पुत्री ताराचन्द समसत जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद

——वादीगण :– अनुपस्थित

बनाम

1. सांवरलाल पुत्र सुगना जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
3. रामनाथ
4. गोरधन
5. रामचन्द्र पि. सुरा जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन,
3 से 5 अनुपस्थित 2 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.8.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा के खाता संख्या 285/96 किता 48 रकबा 9.712 की आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 के कुल तीन भाई सांवरलाल, नारायण व ताराचन्द थे जिनमें से नारायण की मृत्यु हो गयी है उसके वारिस वादी संख्या 1 व 2 है व ताराचन्द की भी मृत्यु हो गयी है के वारिस वादी संख्या 3 से 5 है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा में वादीगण का कुल हिस्सा 2/6 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी का विभाजन नही कराना चाहता है। तथा आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादी कों जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब मय प्रतिदावा [illegible] मुतनाजा में से हाल खसरा नम्बर 471, 526, 583, 584/[illegible] (1/2 हिस्सा) 1271/1700, 1477 व 1494 किता [illegible] रकबा 2.36 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है। प्रतिवादी के पास कुल 2.36 है. आराजी ही है [illegible] कि उसका हिस्सा 1/3

—— 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

के हिसाब से 3.2373 है. होता है। प्रतिवादी के पास 0.87733 है. भूमि कम है। कुल भूमि में से चाही भूमि 4.61 हक्टेयर है प्रतिवादी के पास 0.99 है ही चाही भूमि है। प्रतिवादी के पास 0.54666 है. अर्थात 3–10–0 भूमि चाही किस्म की कम है। प्रतिवादी उक्त भूमि जो वादीगण के कब्जे में है प्राप्त करने का अधिकारी है। आराजी मुतनाजा में प्रतिवादी के पिता का नाम गुना लिखा है जबकि सही नाम सुगना है। वादग्रस्त आराजी में संयुक्त कब्जा काश्त नही है। अतः प्रतिवादी के पास उक्त भूमि में से कम भूमि को वादीगण से दिलवायी जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित भूमि पर बंटवारा अनुसार 1/3 हिसे पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—— वादी

2. आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी गोपाल का शपथ पत्र पेश किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रतिदावे के समर्थन में काई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वाराआवेदन पेश करने पर उन्हे पक्षकार मुर्तिब किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

वाद विचारण के दौरान अधिवक्ता वादीगण उपस्थित नही होने के कारण वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता को प्रतिदावे पर सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी की है। वादीगण ने उक्त वाद वास्ते विभाजन पेश किया है। प्रतिवादी ने अपने प्रतिदावे में कथन किया है कि आराजी मुतनजा पर उसका 1/3 हिस्सा बनता है किन्तु मौके पर वादीगण द्वारा उसे कम जमीन हिस्से पर दी गयी है तथा अधिक भूमि पर वादीगण का कब्जा है अतः उसे शेष भूमि का कब्जा दिलवाया जावे। किन्तु प्रतिवादी ने अपने प्रतिदावे के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा में से कौन से खसरा नम्बर की भूमि वादीगण काबिज है जिस भूमि पर वादी हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, यह प्रतिवादी ने अपने प्रतिदावे में व दौराने बहस स्पष्ट नही किया है। वादीगण का विभाजन का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। प्रतिवादी ने अपने प्रतिदावे में मात्र खातेदारी का अनुतोष चाहा है विभाजन का अनुतोष नही चाहा है बिना विभाजन प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी मुतनाजा में जो संयुक्त खातेदारी की है अलग हिस्सा प्रदान नही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर अपना 1/3 हिस्सा पृथक करने हेतु विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है। संयुक्त खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 अपना हिस्सा अलग कराने का अधिकरी नही है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडा के खाता संख्या 285/96 के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 471, 526, 583, 584/1823, 591, 592, 5[illegible] 922, 1203 (1/2 हिस्सा) 1271/1700, 1477 व 1494 किता 13 रकबा 2.36 [illegible] आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिदावा **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार [illegible] इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुन्दर बनाम सांवरलाल

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 123/2007
पेश करने की दिनांक – 28.11.07
बाद रिवीजन निस्तारण प्राप्त 14.06.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक अनुपस्थित मुद्दई अभिभाषक अभिषेक जैन राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडा के खाता संख्या 285/96 के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 471, 526, 583, 584/1823, 591, 592, 596, 919, 922, 1203 (1/2 हिस्सा) 1271/1700, 1477 व 1494 किता 13 रकबा 2.36 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिदावा **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 08 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:06 IST
Reason: SelfAttested